उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-148/2023/आई/283011/41-1001/3/2022-188(सा0)/2022
लखनऊ:: दिनांक : 02 मार्च, 2023

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश, पर्यटन विभाग के बढ़ते आयाम एवं क्षेत्र के दृष्टिगत पर्यटन विकास के कार्यों को त्वरित गति प्रदान करने हेतु पर्यटन निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं शासन के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को समय से सम्पादित किये जाने के लिए पर्यटन अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-511/2022/आई/222499/41-1001/3/2022/188(सा0)/2022, दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 मुख्यालय पर विशेष कार्याधिकारी का एक निःसंवर्गीय पद वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड-पे रु0 5400/- मैट्रिक्स लेवल-10 (56100-177500) में सृजित करते हुए इस निःसंवर्गीय पद पर श्री आकाश प्रियदर्शी पुत्र स्व0 श्री अमित, उप निदेशक, पर्यटन को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- विशेष कार्याधिकारी के सृजित उक्त निःसंवर्गीय पद पर आवश्यकता एवं औचित्य पाये जाने के दृष्टिगत वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस पद की निरंतरता दिनांक 01 मार्च, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- यह आदेश ई आफिस पर पत्रावली संख्या-41-1001/3/2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:-</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, पर्यटन उ0 प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9. श्री आकाश प्रियदर्शी, विशेष कार्याधिकारी, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in